



कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

E Mail Actw.dnd@mp.gov.in

क्रं/ज.जा.का./EST/2026/800

डिण्डौरी दिनांक 15.06.2026

आदेश

एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक Gad/4/0001/2026-Gad-9-01 दिनांक 22.05.2026 के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार निम्नलिखित शासकीय सेवकों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रं. 6 में दर्शाये गये पद एवं स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ करता है :-

क्रं	कर्मचारी का नाम	ट्रेजरी एम्प्लॉई कोड	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	रामकुमार गौतम		माध्यमिक शिक्षक	शा0मा0शाला कूडॉ 23410719306	माध्यमिक शाला दूधीमझौली 230410700903
2	बलदेव सिंह बिलागर		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा. सरहरी 23410718703	माध्यमिक शाला मक्के 230410703003
3	लक्ष्मी प्रसाद ठाकुर		माध्यमिक शिक्षक	मा0शा0 सिमरिया 23410719806	माध्यमिक शाला बटौंधा 230410701903
4	श्री रामचरण धुर्वे		माध्यमिक शिक्षक	माध्यमिक शाला रूसा 23410714904	माध्यमिक शाला छिवली 230410701202
5	श्रीमति मीना धुर्वे		माध्यमिक शिक्षक	माध्यमिक शाला खाम्ही 23410716602	माध्यमिक शाला कुई 230410705603
6	श्रीमती प्रियंका पदम		माध्यमिक शिक्षक	माध्यमिक शाला जोगीटिकरिया 23410714406	माध्यमिक शाला बसनिया 230410710403
7	श्री हेमंत कुमार ठाकुर		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.पडरिया 23411006401	मा.शा.मझगांव 23411007002
8	श्रीमति आद्रा परस्ते		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.छांटा 23411000304	शा.उ.मा.वि.सरई 23411000104

9	श्री सुनील तिवारी		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.किवटी 23411000707	मा.शा.रनगांव 23411007602
10	श्री द्वारका प्रसाद मरावी		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.कंचनपुर 23411002702	मा.शा.बम्हनी 23411008308
11	श्री राकेश मरावी		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा. बुन्देला	मा.शा. झापाटोला
12	श्रीमति रंजना बसल		माध्यमिक शिक्षक	माध्यमिक शाला गिधलौंडी	मा.वि. बुल्दा
13	निधी श्रीवास्तव		माध्यमिक शिक्षक	मा0शाला पोडी	मा.शा टिकरा महेश पुर
14	श्री प्रताप सिंह मार्को		माध्यमिक शिक्षक	एकी.मा.शा.बाकी 23411613002	मा.शा. पलकी
15	सुषमा झारिया		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.चरगांव 23411604804	मा.शा. दूबा माल
16	उमेश प्रसाद सूर्यवंशी		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.चाटी 23411615802	मा.शा. रमपुरी
17	बंदना झारिया		माध्यमिक शिक्षक	कन्या मा.शा.शहपुरा 23411622502	मा0शाला देवगांव
18	अर्चना नामदेव		माध्यमिक शिक्षक	कन्या मा.शा.शहपुरा 23411622502	मा0शाला लालपुर
19	श्रीमती पुष्पलता बघेल		माध्यमिक शिक्षक	एकीकृत मा.शा.भैसवाही	मा.शा.बरसिंधा
20	श्री चंद्रभान प्रजापति		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.पिण्डरूखी	मा.शा.बरसिंधा
21	राजेश कुमार अग्रवाल		माध्यमिक शिक्षक विज्ञान	मा.शा.भरद्वारा 23411617102	मा.शा बडईगढ
22	अंजना साहू		माध्यमिक शिक्षक विज्ञान	मा0शाला करौदी	मा0शाला सलैया
23	निधि सोना		मा0शिक्षक	बा.मा.शा.शहपुरा 23411620222	माध्य.शाला मटका
24	दुर्गा सिंह उइके		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.रकरिया	हाई स्कूल सारंगपुर पडरिया

25	सलिल झा		माध्यमिक शिक्षक	उ.मा.वि. धुरा	हाई स्कूल चिचरिंगपुर
26	कोमल सिंह सैयाम		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.भवरखंडी	हाई स्कूल सारसताल
27	श्री ललित कुमार ठाकुर		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.डांडबिछिया	हाई स्कूल सारसताल
28	श्री राकेश कुमार साहू		माध्यमिक शिक्षक	शा.उ.मा.वि.कनेरी	शा.उत्कृष्ट विद्यालय मेंहदवानी
29	श्री संजय कुमार चंदेल		माध्यमिक शिक्षक	मा.शा.खजरी अमरपुर	उ.मा.वि.धुरा

यह स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन रहेगा:

1. स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी की ई-सेवा पुस्तिका / सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि उपरांत कार्य मुक्त किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संस्था प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
2. स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को e HRMS Portal पर कार्यमुक्त करना एवं कार्य ग्रहण करवाना अनिवार्य होगा।
3. अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर स्थानांतरण से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
4. स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह में स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।
5. यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।
6. यथा स्थिति, दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।
7. कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी/अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानान्तरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।
8. कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
9. कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि का, किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
10. स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से पालन ना किया जाना, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
11. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नवीन पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

12. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके मूल संवर्ग से किसी अन्य संवर्ग में होता है, तो उसका धारणाधिकार उसके मूल संवर्ग के पद पर ही रहेगा।

[11:06 pm, 15/6/2026] Markam Sir: उत्तरदायी होगा।

8. कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

9. कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि का, किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

10. स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से पालन ना किया जाना, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नवीन पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

12. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके मूल संवर्ग से किसी अन्य संवर्ग में होता है, तो उसका धारणाधिकार उसके मूल संवर्ग के पद पर ही रहेगा।

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी

पृ.क्रं/ /ज.जा.का./EST/2026/800 A

डिण्डौरी दिनांक 15.06.2026

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. संबंधित जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
10. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, संबंधित संभाग म.प्र.।
11. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, की ओर सूचनार्थ।
12. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी मध्यप्रदेश।
13. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड अधिकारी, की ओर सूचनार्थ।
14. सर्व संबंधित संस्था की ओर पालनार्थ।
15. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी